

न्यायालय उपजिलाधिकारी बिल्थरा रोड़, बलिया

वाद संख्या-

06
10-11-15

दिनांक-

धारा	-	143 उ०प्र० ज० वि० एवं मू० सु० अधिनियम
मौजा	-	भीमपुरा नं०-1 एवं कुशहों ब्राम्हण
परगना	-	सिकन्दरपुर गर्वी
तहसील	-	बिल्थरा रोड़
जनपद	-	बलिया

श्री राम करण स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भीमपुरा नं०-1, बलिया
बनाम
राजस्व निरीक्षक

निर्णय

प्रस्तुत वाद कृष्णा नन्द सिंह प्रबन्धक श्री राम करण स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भीमपुरा नं०-1, बलिया निवासी भीमपुरा नं०-1, तहसील-बिल्थरा रोड़ द्वारा इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि ग्राम भीमपुरा नं०-1 में स्थित आराजी नं० 350 रकबा 0.546 हे०, 431 मि रकबा 0.154 हे०, 464 मि रकबा 1.503 हे० कुल 3 गाटा रकबा 2.203 हे० अर्थात् 21760 वर्ग मीटर एवं ग्राम कुशहों ब्राम्हण, परगना एवं तहसील उपरोक्त में स्थित आराजी नं० 869 रकबा 1.627 हे० अर्थात् 16080 वर्ग मीटर अकृषिक भूमि है। धारा 143 U.P.Z.A.L.R.A.C.T के तहत इसे अकृषिक घोषित किया जाय। इनके द्वारा प्रार्थना पत्र में उल्लिखित किया गया है कि प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि पर कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। उक्त भूमि विद्यालय हेतु प्रयोग में लायी जा रही है।

इस सम्बन्ध में दिनांक 24.09.2015 को वाद दर्ज किया गया तथा तहसीलदार बिल्थरा रोड़ से जाँच करा कर आख्या देने हेतु इस न्यायालय द्वारा प्रतिलिपि निर्गत की गयी। राजस्व निरीक्षक द्वारा स्थलीय जाँच कर अपनी रिपोर्ट दिनांक 30.09.2015 को दी गयी। राजस्व निरीक्षक द्वारा भूलेख अधिनियम की धारा 135 (1) के अन्तर्गत नियत प्रोफार्मा पर अपनी जाँच आख्या प्रस्तुत की गयी। उनके द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी कि गाटा संख्या 350 रकबा 0.546 हे०, 431 मि० रकबा 0.154 हे०, 464 मि रकबा 1.503 हे० कुल 3 गाटा रकबा 2.203 हे० अर्थात् 21760 वर्ग मीटर मालगुजारी रू० 54.40 एवं ग्राम कुशहों ब्राम्हण, परगना एवं तहसील उपरोक्त में स्थित आराजी नं० 869 रकबा 1.627 हे० अर्थात् 16080 वर्ग मीटर मालगुजारी 40.20 रू० कागजात में श्री राम करण स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भीमपुरा नं०-1, बलिया के नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर अंकित है, जो खाता खतौनी सं० 118,126,242,257,268,279,386,398 ग्राम भीमपुरा नं०-1 एवं खाता खतौनी सं० 425 ग्राम कुशहों ब्राम्हण पर अंकित है। राजस्व निरीक्षक द्वारा रिपोर्ट दी गयी है कि उक्त आराजी एवं रकबों में श्री राम करण स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भीमपुरा नं०-1, बलिया स्थित है। जिसे आबादी श्रेणी 6 (2) कायम किया जा सकता है।

इस वाद में किसी पक्ष द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गयी, मेरे द्वारा वादी एवं उसके अधिवक्ता के तर्कों को सुना गया तथा पत्रावली पर तहसीलदार बिल्थरा रोड़ की आख्या 06.10.2015 का अयलोकन किया गया। उक्त आराजी व रकबा अकृषिक प्रयोग में लायी जा रही है जिसे अकृषिक घोषित किया जाना न्यायसंगत है। भूलेख अधिनियम की धारा 135 (1) के अन्तर्गत गैर कृषिक भूमि के सम्बन्ध में विवरण राजस्व निरीक्षक व तहसीलदार बिल्थरा रोड़ द्वारा देते हुए संस्तुति की गयी है।



आदेश

अतः तहसीलदार बिल्थरा रोड की रिपोर्ट दिनांक 08.10.2015 को स्वीकार करते हुए मौजा भीमपुरा नं०-1, के खाता सं०- 118,126,242,257,268,279,386,398 आराजी नं० 350 रकबा 0.546 हे०, 431 मि रकबा 0.154 हे०, 464 रकबा 1.503 हे० कुल 3 गाटा रकबा 2.203 हे० अर्थात् 21760 वर्ग मीटर मालगुजारी 54.40 रू० एवं ग्राम कुशहों ब्राम्हण, परगना एवं तहसील उपरोक्त में स्थित आराजी नं० 869 रकबा 1.627 हे० अर्थात् 16080 वर्ग मीटर मालगुजारी 40.20 रू० जो श्री राम करण स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भीमपुरा नं०-1, बलिया के नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है को 143 उ०प्र० जो वि० एवं भूमि सुधार अधिनियम के अन्तर्गत अकृषिक भूमि घोषित किया जाता है तथा उसे ग्राम भीमपुरा की भूमि 1.503 हे० रू० 54.40. एवं ग्राम कुशहों ब्राम्हण की भूमि 1.627 हे० रू० 40.20 के मालगुजारी से मुक्त किया जाता है। परवाना अमल दरामद जारी हो। वाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हों।

दिनांक

नरेश्वरी -
प्रकाश शर्मा -
21/11/2015

18-11-15
(प्रवरशील बर्नवाल)
उपजिलाधिकारी
बिल्थरा रोड, बलिया



नरेश्वरी उपजिलाधिकारी बिल्थरा रोड
प्रदाना पत्र का दिनांक... 18.11.2015 ✓
विशेष नोट का दिनांक... 17.11.2015 ✓
पत्रों करने का दिनांक... 17.11.2015 ✓
उपनाम.....
हस्ताक्षर.....

प्रमाणित प्रतिलिपि

हस्ताक्षर